न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर०ए०एस०

विविध प्रार्थना पत्र सं० 04/2016

1. जसवीर सिंह } पिसरान दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी 29 जीबी
2. हमीर सिंह } तहसील श्रीवियजनगर जिला श्रीगंगानगर
3. अवतार सिह } पिसरान दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी 29 जीबी
4. हरभजन सिंह } तहसील श्रीवियजनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार

उपस्थित : श्री तेजासिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी।
राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

आदेश **दिनांक : 26.09.2017**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि सीलिंग प्रकरण सं0 03/1998 अनवानी सरकार बनाम माधुरी में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2003 को निर्णय पारित कर भूमिधारी की 248 बीघा 8 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.10.2013 से अपील स्वीकार करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये है। आज के दिन कोई खारिजी आदेश नही है इसलिए न्यायहित में कब्जा वापिस कर इंतकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश किए जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। राजकीय अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 17.10.2013 उनके पक्ष में हो चुका है तथा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 जिसके द्वारा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक घोषित की गई थी, को निरस्त कर दिया गया है। बहस में यह भी बताया है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की पालना में प्रार्थीगण की चक 29 जीबी(ए) मुरब्बा नम्बर नया 77 व पुराना 78 के कुल 13.10 बीघा जमीन का कब्जा वापिस देकर इंतकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करें। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में नजीर पेश की है:–

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

1. आर.आर.डी. वर्ष 1989 पेज–104

SHRI C-S- GOYAL : MEMBER Gopal Singh V. State of Raj-[50] Civil Procedure Code, Section 144-Order dt. 17.05.1982 in ceiling proceedings for tasking over 'excess land, set aside by Board on 3-6-83 and case , remanded- Meanwhile excess land taken over and allotments made –legal representatives of assessee proceeded against u/s 91excess land, set aside by Board on 3-6-83 and case , remanded- Meanwhile excess land taken over and allotments made –legal representatives of assessee proceeded against u/s 91 [3], Land Revenue Act and penalty, imposed-Held that With the setting aside of the Collector's order by Board , **Petitioners had become entitled to restitution and to be placed in same Position as obtaining before order dt. 17-05-82 –He could Not be treated as trespasser- Orders imposing penalty, quashed [Para-4]**

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त हो चुका है, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया था। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 17.10.2013 के विधिक परीक्षण के उपरांत रिट दायर करने के लिए तहसीलदार श्री विजयनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसलिए स्टेट के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित होने वाले भावी निर्णय के अध्याधीन इस आदेश को रखा जाना चाहिये। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 को स्वीकार करने में राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि सीलिंग प्रकरण सं0 03/1998 अनवान सरकार बनाम माधुरी वगैरा के विधिक उताराधिकारीगण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2003 को निर्णय पारित कर 13.10 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। इस आदेश की पालना में कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 28.04.2003 के क्रम में मु.न. 77 नया व 78 पुराना का कब्जा लिया गया जिसका इन्तकाल 67 दिनांक 15.11.1995 मु.न. 77 किला नम्बर 02 ता 15 कुल 3.491 हैक्टर न्यायालय के आदेश की पालना में क्रमांक 3917 दिनांक 21.10.95 को आराजी राज स्वीकृत किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2003 को अप्रार्थी दलीप सिंह के वारिसान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल , अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.10.2013 से अपील स्वीकार करते हुए भूमि सीलिंग सीमा से कम मानी गई व इस न्यायलय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त कर अपीलार्थी के वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपरोक्त हस्तान्तरण सदभावी है अथवा नही इसकी विस्तृत जांच कर तथा राज्य सरकार भूमिधारी एवं ट्रान्सफरीज को सुनकर स्पष्ट निर्णय पारित

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 17.10.2013 पर कोई स्थगन हो, ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। चूँकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि इस न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन अभिलेख पर नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी निर्णय की पालना किये जाने में कोई आपति जाहिर नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक इन्तकाल 67 दिनांक 15.11.1995 मु.न. 77 किला नम्बर 02 ता 15 कुल 3.491 हैक्टर न्यायालय के निर्णय की पालना में आदेश क्रमांक 3917 दिनांक 21.10.95 द्वारा बहक सरकार कब्जा जिससे लिया गया था, का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद, उनके पक्ष में करते हुए वापस कब्जा सुपर्दगी का आदेश दिया जाता है । उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय में विचाराधीन मूल सीलिंग रिमाण्ड प्रकरण 03/2006 में पारित होने वाले भावी आदेश के अध्याधीन रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, श्री विजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 26.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)